

पत्रांक...४१५ (११)/रा०
समाहरणालय सिमडेगा।
(राजस्व शाखा)

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,
सिमडेगा।

सेवा में,

उप महाप्रबंधक,
झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड,
संचरण अंचल, राँची।

सिमडेगा, दिनांक...०३-०९-२४

विषय :- झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के०भी० द्विपथ कोलेबिरा-कमडारा संचरण लाईन निर्माण के क्रम में पड़ने वाली गैरमजरूआ भूमि/जंगल-झाड़ी भूमि का FRA एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र का प्रेषण।

महाशय,

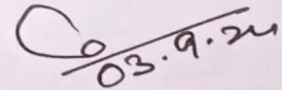
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के०भी० द्विपथ कोलेबिरा-सिमडेगा संचरण लाईन निर्माण के क्रम में पड़ने वाली गैरमजरूआ भूमि/जंगल-झाड़ी भूमि का विहित प्रपत्र में निर्गत FRA एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

FRA (FORM-I)	No. 53(i), Dated- 02.09.2024	अघरमा कोलेबिरा
	No. 54(i), Dated- 02.09.2024	जुराकेल कोलेबिरा
	No. 55(i), Dated- 02.09.2024	लरबा कोलेबिरा
	No. 56(i), Dated- 02.09.2024	कोलेबिरा
	No. 57(i), Dated- 02.09.2024	भंवरपहाड़ कोलेबिरा
	No. 58(i), Dated- 02.09.2024	नवाटोली कोलेबिरा
अनापत्ति प्रमाण-पत्र	संख्या- 52(ii), दिनांक- 02.09.2024	नवाटोली, भंवरपहार, कोलेबिरा, लरबा एवं जुराकेल।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन


03.9.24

अपर समाहर्ता
सिमडेगा।

समाहरणालय सिमडेगा

(राजस्व शाखा)

अनापतिप्रमाण-पत्र

खंड - 52 U/RW
दिनांक - 02.09.2024

राजस्व एवं भूमि सुधार, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 1817/रा0 दिनांक-30.04.2015 के आलोक में झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 को भी0 द्विपथ कोलेबिरा-कामडारा संचरण लाईन के निर्माण के क्रम में पड़नेवाली गरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ जंगल इत्यादि) जो निम्नांकित प्लॉटों में सन्निहित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन भूमि (Deemed Forest) भूमि से बाहर है:-

अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (हे० मे)		किस्म	अभ्युक्ति
					Area Hect. (PF)	Area Hect. (JJ)		
कोलेबिरा	नवाटोली	114	129	586		0.286100	जंगल झाड़ी	
	भैंवरपाहार	121	168	1819		0.480058	जंगल झाड़ी	
				1007		0.07000	जंगल झाड़ी	
				986		0.127000	जंगल झाड़ी	
				665		0.574000	जंगल झाड़ी	
	कोलेबिरा	113	187	658		0.207000	जंगल झाड़ी	
				642		0.162000	जंगल झाड़ी	
				591		0.753932	जंगल झाड़ी	
				1273		0.170571	जंगल झाड़ी	
	लरबा	123	107	1512		0.123467	जंगल झाड़ी	
	जुरकेला	131	100	1513		0.047890	जंगल झाड़ी	
	कुलरकबा		124			3.002018		

02.09.24
अपर समाहर्ता,
सिमडेगा
24.9.24
24.9.24

2-9-24
उपायुक्त
सिमडेगा

उक्त भूमि के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी हस्तांतरण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

श्री विन्देश्वरी

अमीन

राजस्व उप

निरीक्षक

अंशुलि

निरीक्षक

अंचल अधिकारी

कलेक्टर

भूमि सुधार एवं समाहता

सिमडेगा

अनुमण्डल पदा

सिमडेगा

अपर समाहता

सिमडेगा

उपायुक्त

सिमडेगा

2.9.24

22/8/24

23/8/24

FORM-I

The linear Projects
Government of Jharkhand
Office of the District Collector, Simdega

No. 57(6)/RW

Date: 02.09.24

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter no No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respwct of linear projects, it is certified that **1.620058 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Jharkhand Urja Sancharan Nigam, Ranchi for Construction of 132 KV D/C Kalebira to Kamdara Sancharan Line** (Purpose for diversion of forest land) in **Simdega** district falls within jurisdiction of **Village-Bhanwarpahar in Kalebira** tehsil. It is further certified that :

- (d) The completed process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **1.620058 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of record of all construction and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.....1..... to annexure8.....
- (e) The diversion of forest land of facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Enc: As above

राजिंदर चौधरी
Amin
RCI
C.I
Ranger Forest
Officer
Kalebira
कोलेबिरा (सिमडेगा)

Simdega
SDO
Simdega
DC
Simdega
2.9.24

215 ①

आज दिनांक 13.09.2023 को 4.30 बजे अपराह्न में उपायुक्त सिमडेगा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- पंजी अनुसार।

उपायुक्त, सिमडेगा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक हुई। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उप महाप्रबंधक झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड कुसई कॉलोनी डोरण्डा के पत्रांक - 2251 दिनांक 27.03.2023 के द्वारा 132 KV द्विपथ कोलेबिरा-कामडारा संचरण लाइन निर्माण के क्रम में पड़नेवाले वन भूमि से संबंधित FRA प्रमाण पत्र निर्गत करने एवं पाकरटांड प्रखण्ड के गोंदलीपानी और कुशकेला में BSNL मोबाईल टावर अधिष्ठापन हेतु पड़ने वाले वन भूमि से संबंधित FRA प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के ज्ञापांक- 331(ii)/रा0 दिनांक 08.07.2023 एवं ज्ञापांक 449(i)/रा0, दिनांक 24.08.2023 एवं पत्रांक 450 दिनांक 31.08.2023 द्वारा 132 KV द्विपथ कोलेबिरा-कामडारा संचरण लाइन निर्माण के क्रम में पड़नेवाले वन भूमि कोलेबिरा अंचल के ग्राम नवाटोली, भैंवरपहाड, कोलेबिरा, लरबा, जुरकेला अचरमा एवं पाकरटांड प्रखण्ड के गोंदलीपानी और कुशकेला में BSNL मोबाईल टावर अधिष्ठापन में वन अधिकार दावा प्रारूप पारित कर अनापति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत् है:-

(अंचल-कोलेबिरा)									
132 KV द्विपथ कोलेबिरा-कामडारा संचरण लाइन निर्माण के क्रम में पड़नेवाले वन भूमि से संबंधित विवरणी:-									
क्र० सं०	वन ग्राम का नाम	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा (हे० में)		दावा का प्रकार	किस्म	अभ्युक्ति
					Area Hect. (PF)	Area Hect. (JJ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नवाटोली	114	129	586		0.286100			
2				1819		0.480058			
3			168	1007		0.070000			
4				986		0.127000			
5	भैंवरपहाड.	121		665		0.574000			
6			187	658		0.207000			
7				642		0.162000			
8	कोलेबिरा	113	164	591		0.753932			
9									
10	लरबा	123	107	1054	0.321898			साखू जंगल	
11				1273		0.170571			
12	जुरकेला	131	100	1512		0.123467		जंगल झाड़ी	
13			124	1513		0.047890			
14	अचरमा	132	195	2486	0.125232				
				2354	0.418859			साखू जंगल	
कुल रकबा:-					0.8660	3.002018			

अंचल-पाँकैरटांड मौजा गोंदलीपानी एवं कुशकेला में BSNL मोबाईल टावर अधिष्ठापन हेतु भूमि की विवरणी :-								
क्र० सं०	वन ग्राम का नाम/थाना संख्या	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा (एकड़ में)	दावा का प्रकार	किस्म	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गोंदलीपानी / 18	18	95	972	3.01 ए० में से 0.02 ए०	—	परती पत्थर	BSNL मोबाईल टावर अधिष्ठापन हेतु
2	कुशकेला / 23	23	215	1518	0.19 ए० में से 0.02 ए०	—	परती कदीम	

अनुमण्डल वनाधिकार समिति द्वारा प्राप्त अनापति के आलोक में झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड कुसई कॉलोनी डोरण्डा, राँची को सर्वसम्मति से 132 KV द्विपथ कोलेबिरा -कामडारा संचरण लाइन निर्माण एवं पाकरटांड प्रखण्ड के गोंदलीपानी और कुशकेला में BSNL मोबाईल टावर अधिष्ठापन के क्रम में पड़नेवाले उपरोक्त

भूखण्ड पर वन भूमि एवं GM, JJ Land से संबंधित FRA प्रमाण पत्र निर्गत करने के निर्णय को जिला वनाधिकार समिति द्वारा स्वीकार करते हुए अनापति पत्र निर्गत करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Ajay
13/9/23
श्री अजय एक्का,
जिला परिषद सदस्य, ठेठईटांगर
पश्चिमी।

श्री कृष्णा बड़ाईक,
जिला परिषद सदस्य, ठेठईटांगर पूर्वी।

Shantibala
श्रीमती शांति बाला कैरकेट्टा,
जिला परिषद सदस्य,
सिमडेगा।

13/09/23
जिला कल्याण पदाधिकारी,
सिमडेगा।

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0, सिमडेगा।

13/9/23
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सिमडेगा।

13.9.23
उपायुक्त,
सिमडेगा।

कार्यालय, परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, (ITDA) सिमडेगा।

ज्ञापांक:- 2653

दिनांक:- 15/09/23

- प्रतिलिपि:- जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- उपायुक्त, सिमडेगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

13/09/23
जिला कल्याण पदाधिकारी,
सिमडेगा।

(3)

दिनांक 08.07.2023(शनिवार) को अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा की अध्यक्षता में आयोजित वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति- पंजी अनुसार।

दिनांक 08.07.2023 को अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति, सिमडेगा की बैठक में अंचल कोलेबिरा से प्राप्त अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) से संबंधित सामुदायिक वनाधिकार पट्टा दावा पत्रों से संबंधित कुल-6 ग्राम वनाधिकार समिति के दस्तावेजों की जाँच की गई जिन्हें त्रुटि रहित पाकर बैठक में पारित किया गया तथा अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्राप्त दावा पत्रों की विवरणी

अंचल- कोलेबिरा सामुदायिक दावा पत्रों की विवरणी

क्र० सं०	वन ग्राम का नाम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (हे० में)		दावा का प्रकार	किस्म	अभ्युक्ति	
					Area Hect. (PF)	Area Hect. (JJ)				
1	2	3	4	5	6	7	8	11	11	
1	नवाटोली	114	129	586		0.286100		जंगल झाड़ी		
2	भैंवरपहाड़	121	168	1819		0.480058				
3				1007		0.070000				
4				986		0.127000				
5			187	665		0.574000				
6				658		0.207000				
7				642		0.162000				
8	कोलेबिरा	113	164	591		0.753932				
9	लरबा	123	107	1054	0.321898					साखू जंगल
10				1273		0.170571				
11	जूरकेला	131	100	1512		0.123467				जंगल झाड़ी
12			124	1513		0.047890				
13	अघरमा	132	195	2486	0.125232					साखू जंगल
14	अघरमा			2354	0.418859					
कुल रकबा:-					0.8660	3.002018				

अतः अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा पारित सभी अभिलेखों को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को प्रेषित किया जाता है।

30/07/23
प्रमुख
सिमडेगा

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।
08/07/23
प्रमुख
जलडेगा

08/07/23
उप प्रमुख
बानो।

08/07/23
अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी,
सिमडेगा।

सहायक वन संरक्षक, सिमडेगा

ज्ञापांक 339 (11) / रा०, दिनांक 08.07.23

अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा

प्रतिलिपि:- निदेशक आई०टी०डी०ए० सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति के सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित अंचल अधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उपायुक्त, सिमडेगा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा

187

4

पत्रांक (ii) / रा0
कार्यालय अंचल अधिकारी, कोलेबिरा।

प्रेषक

अंचल अधिकारी,

सेवा में

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सिमडेगा।

कोलेबिरा, दिनांक 02/06/2023

विषय:-

झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 K.V. द्विपथ कोलेबिरा-कामडारा संचरण लाईन के क्रम में पड़ने वाले वन भूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि का ग्राम वनाधिकारी समिति के कार्यवाही व अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रेषण के संबंध में।

प्रसंग:-

भवदीय पत्रांक-548(ii) / रा0, दिनांक:-31.03.2023

महाशय,

झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 K.V द्विपथ कोलेबिरा-कामडारा संचरण लाईन के क्रम में पड़ने वाले वन भूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि का ग्राम वनाधिकारी समिति से अनापत्ति प्राप्त किया गया है। ग्राम वनाधिकार समिति के द्वारा 132 K.V द्विपथ कोलेबिरा-कामडारा संचरण लाईन से ग्राम क्षेत्र के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया है। अंग्रेज़ी कारवाई हेतु बैठक की कार्यवाही पंजी का छायाप्रति का प्रेषण किया जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(A)

02/06/2023

अंचल अधिकारी,

कोलेबिरा।

26/05/23

48
3-6-23

अंचल	मौजा	शाना संख्या	प्लॉट संख्या	खाता संख्या	रकबा (हे०)		किस्म	अभ्युक्ति
					Area Hect.(PF)	Area Hect.(IJ)		
	नवाटोली	114	586	129		0.286100	जंगल झाडी	
	भैवरपहाड	121	1819	168		0.480058	जंगल झाडी	
	भैवरपहाड	121	1007	168		0.070000	जंगल झाडी	
	भैवरपहाड	121	986	168		0.127000	जंगल झाडी	
	भैवरपहाड	121	665	87		0.574000	जंगल झाडी	
	भैवरपहाड	121	658	187		0.207000	जंगल झाडी	
	कोलेबिस	113	642	187		0.162000	जंगल झाडी	
	लखा	123	591	164		0.753932	जंगल झाडी	
	लखा	123	1054	107	0.321898		साखू जंगल	
	चुरकला	131	1273	107		0.170571	जंगल झाडी	
	चुरकला	131	1512	100		0.123467	जंगल झाडी	
	अधरमा	132	2486	124		0.047890	जंगल झाडी	
	अधरमा	132	2354	195	0.125232		साखू जंगल	
					0.418859		साखू जंगल	
					0.8660	3.002018	साखू जंगल	

कुल रकबा (हेक्टेयर)

अंचल अधिकारी
उपकोलेबिस
07/06/23

6

2017

ग्राम वन अधिकार समिति भँवरपहाड़ की बैठक की कार्यवाही

दिनांक ... 12.12.2017 ... की पूर्वाह्न ... 12.12.2017 ... जे ग्राम वन अधिकार समिति भँवरपहाड़ प्रखण्ड कोलेबिरा की बैठक ग्राम भँवरपहाड़ में आयुक्त की गई जिसमें 132 KV D/C Kalebira- Kamdara Transmission line, M/s Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited के निर्माण हेतु मौजा भँवरपहाड़ थाना न० 121 खेसरा संख्या- 1819,1007,986,665,658,642, संरक्षित वन भूमि PF = 0.0 (हे०) एवं JJ = 1.620058 (हे०) वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

1. उपस्थिति :-

- सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भँवरपहाड़ में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है।
- सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भँवरपहाड़ में आदिम जनजाति समुहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2008 की धारा 3 (1) (त) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
- सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भँवरपहाड़ में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम की धारा -3 (2) के तहत प्रक्रिया कर ली गई है।
- सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि 132 KV D/C Kalebira- Kamdara Transmission line, M/s Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited के निर्माण हेतु मौजा भँवरपहाड़ थाना न० 121 खेसरा संख्या- 1819,1007,986,665,658,642, संरक्षित वन भूमि PF = 0.0 (हे०) एवं JJ = 1.620058 के वन भूमि अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम वन अधिकार समिति

उमिना देवी
अध्यक्ष

संयुक्त ग्राम वन प्रबन्धन एवं सुरक्षा समिति
भँवरपहाड़, कोलेबिरा (सिमडेगा)

के सदस्यों का हस्ताक्षर

दीपनारायण सिंह

आजोय सिंह

मुनिता देवी

कुमकुती देवी

मिहिर सिंह

ग्राम प्रधान
राजस्व ग्राम भँवरपहाड़

पंचायत नवाडगाँव

जो नवनी देवी

रंजीत सिंह

दुर्योधन सिंह

सुलेमान मुब्ता

लखन सिंह

राणा प्रताप सिंह

कैलाश सिंह
बनारस कन्हैया

सन्निध सिंह

बुध सिंह

बेल्हा मुब्ता

बंशीधर सिंह

जयमहि देवी

गोपाल सिंह

सुमरा खडिया

सुतवा खडिया

सुलोचना देवी

अमरनाथ सिंह

बिरेंद्र सिंह

देवप्रताप सिंह

सुमेन्द्र मुब्ता

(7)

2006

Date

Page No

ग्राम सभा

आज दिनांक 12/05/23 ग्राम भँवरपहाड़ में अपर समावृत्ती के अधीन पतांक 548 (गैर डि० 81/02/2023) के आलेख में ग्राम भँवरपहाड़ अन्तर्गत 132 के भी. डि पथ कोलेबिरा काभडारु रनचरण लाइन के निर्माण हेतु बनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत बन भूमि (251 विजय) के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु बनाधिकार समिती अध्यक्ष सचिव ग्रामीण मुखिया एवं जनप्रतिनिधि की उपस्थिती में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुखिया ने किया उपस्थित ग्रामीण अपना-अपना हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान किया।
बनाधिकार समिती अध्यक्ष
अभिमान्डु सिंह

मुखिया हस्ताक्षर

मुखिया
ग्राम पंचायत नवाटोली
मुखिया कोलेबिरा (सिमडेगा)
ग्राम प्रधान
राजस्व ग्राम भँवर पहाड़
पंचायत नवाटोली

संयुक्त ग्राम जन प्रबन्धन एवं सुरक्षा समिति
भँवरपहाड़, कोलेबिरा (सिमडेगा)

लीलावती देवी
राजमती देवी
कुन्दे बरारी देवी
जसमणि देवी
सोनिपा देवी
जितनी देवी
सैगीता देवी
देवन्तो देवी

गुजरी मुण्डा

कुन्दे बरारी देवी

मुखिया के अभिवादन के पश्चात आज की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, सबसे पहले राजस्व कर्मचारी के द्वारा बैक के सम्बन्ध में सभी ग्रामीण जनता को बताया गया।

मौजा	भागान	खेत/न	प्लॉट/न	रकबा	कि.मि
नवाटोली	114	129	586	0.286000	जी.डी.
भवरपहाड़	121	168	1813	0.480058	जी.डी.
			1007	0.070000	"
			986	0.127000	"
		187	665	0.574000	"
			658	0.207000	"
			642	0.162000	"

सर्व सम्मती से निर्णय लिया गया कि 132 के भी कि कोलेवीरा से कामडारा संचरण लाइन निर्माण हेतु जो जंगल और उसके मुकराम की क्षतिपूर्ति देय होगा ग्रामीणों के सह सम्मति के साथ प्रस्ताव को पारित किया गया जिससे ग्रामीणों को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है सुधन्यवाद के साथ ग्राम सभा की कार्यवाही सभा अध्यक्ष के द्वारा समाप्त की गयी।

अध्यक्ष

अध्यक्ष

संयुक्त ग्राम वन प्रबन्धन एवं सुरक्षा समिति
भवरपहाड़, कोलेबिरा (सिमडेगा)

मुखिया

मुखिया

ग्राम पंचायत नवाटोली
समिति कोलेबिरा (सिमडेगा)

मुखिया

ग्राम प्रधान

राजस्व ग्राम भवरपहाड़
पंचायत नवाटोली

FORM-I

The linear Projects
Government of Jharkhand
Office of the District Collector, Simdega

No. 56 (T) RW

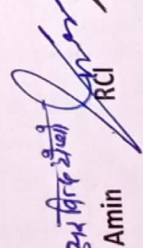
Date: 02.09.24

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter no No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respwct of linear projects, it is certified that **0.753932 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Jharkhand Urja Sancharan Nigam, Ranchi for Construction of 132 KV D/C Kalebira to Kamdara Sancharan Line** (Purpose for diversion of forest land) in **Simdega** district falls within jurisdiction of **Village- Kalebira** in **Kalebira** tehsil. It is further certified that :

- (g) The completed process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **0.753932 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of record of all construction and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **9** to annexure **16**.....
- (h) The diversion of forest land of facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (i) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Enc: As above


 Amin
 RCI
 C.I.
 Ranger Forest
 Officer
 Kalebira
 बचल अधिकारी
 कोलेबिरा (सिमडेगा)
 SDO
 Simdega
 AC
 Simdega
 DC
 Simdega
 02.9.24
 2.9.24

ग्राम वन अधिकार समिति कोलेबिरा की बैठक की कार्यवाही

दिनांक ... 02.10.2012 ... की पूर्वाह्न ... बजे ग्राम वन अधिकार समिति कोलेबिरा प्रखण्ड कोलेबिरा की बैठक ग्राम कोलेबिरा में आयुक्त की गई जिसमें 132 KV D/C Kalebira- Kamdara Transmission line, M/s Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited के निर्माण हेतु मौजा कोलेबिरा धाना न० 113 खेसरा संख्या- 591, संरक्षित वन भूमि PF = 0.0 (हे०) एवं JJ = 0.753932 (हे०) वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

1. उपस्थिति :-
2. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोलेबिरा में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है।
3. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोलेबिरा में आदिम जनजाति समुहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008 की धारा 3 (1) (त) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोलेबिरा में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम की धारा -3 (2) के तहत प्रक्रिया कर ली गई है।
5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि 132 KV D/C Kalebira- Kamdara Transmission line, M/s Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited के निर्माण हेतु मौजा कोलेबिरा धाना न० 113 खेसरा संख्या- 591, संरक्षित वन भूमि PF = 0.0 (हे०) एवं JJ = 0.753932 (हे०) के वन भूमि अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम वन अधिकार समिति की ले. क्रि. के सदस्यों का हस्ताक्षर

अनिल कुमार ठोरा

सुरवनी देवी

ग्राम वन अधिकार समिति
कोलेबिरा

सिल्वीयुस डेजा डेजा
सचिव
ग्राम वन अधिकार समिति
कोलेबिरा

06-5 2023

आज दिनांक 06-5 2023 को ग्राम कोलेजियम पथन चोली के चबूतरा में अपर सभासदी के पत्रांक 548011 दिनांक 01/04/23 के अलीक में ग्राम कोलेजियम बनवत 122 KV बिपन कोलेजियम - कमंडर संरचना लाइन के निर्माण हेतु कार्याकार कार्यान्वित 2006 के तहत वन भूमि (VOT) हेतु ग्राम सभा का आयोजन श्री मरिया पादम, ग्राम सभा अध्यक्ष, कोलेजियम की अध्यक्षता में की जा रही है।

इसके तहत करने वाले प्रति विवरण निम्न प्रकार

मोटा	आना न	खर्चा	एवं	रकम	किर
कोलेजियम	113	104	591	56,300 में	जंगल
				75,3932	कोली
				हस्ताक्षर	

उपस्थिति निम्न प्रकार है:

- 1- ग्राम संस्थापक अध्यक्ष - ~~अपस्थित~~
- 2- वार्ड सदस्य - ~~अपस्थित~~
- 3- ग्राम प्रधान - ~~अपस्थित~~
- 4- राजस उपस्थिति - ~~अपस्थित~~
- 5- उप मुखिया - ~~अपस्थित~~

ग्राभीयों की उपस्थिति:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1 विरना खड़िया | 14 जकारिया दे |
| 2 संध्या करला | 15 पुमान लोको |
| 3 बसंती केशके | 16 पीर दे |
| 4 रेखा केशके | 17 देवरी लोको |
| 5 पुष्पा केशके | 18 विनुस केशके |
| 6 रीतु केशके | 19 विनुप तिका |
| 7 ममता खडिगडिन | 20 विनुप दे |
| 8 सवीना कुल्लु | 21 सविना दे |
| 9 देवि पुष्पा खडिगडिन | 22 फुलजोसिपा दे |
| 10 देवि शनिपाल खडिगडिन | 23 जसिना दे |
| | 24 प्यारी दे |

34 विमला तिका
35 अनिमा तिका
36 असार तिका
37 धीमल लेखा
38 भुनिमा देवी
39 धीमा केरकेवा

37 वाधुलाल केरकेवा
38 बिसाल साव
39 जनाश केरकेवा
40 गुरु गुरु
41 गुरु गुरु
42 गुरु गुरु
43 Anurajjan Tete
44 Bimbal केरकेवा

45 सुदर्शन प्रधान
46 सीताराम गौड़
47 सुकटा गुरुगुरु

सुदर्शन के जन्मपात्र के पश्चात कार्य की कार्यकारी
प्रारम्भ की गई। रामरु उप निरीक्षक द्वारा वेध के संबंध में सभी
ग्रामीणों को बताया गया। इस ग्राम समिति के सर्वसम्मति से
निर्वाह किया गया कि 1992-94 विषय कोलेविरा के काठरा धरमना
लाईव निर्माण हेतु जो भी जंगल और उसके मुहल्लों की नतिवर्ति
देख लिया। इसमें किसी को कोई बाधति नहीं है।
अन्त में सहायकाई बाधन करने हुए ग्राम समिति अध्यक्ष
द्वारा समिति का विवरण किया गया।

कैनेलिमुस छोरे, सन्धिप, खिला, प्रियुस, कुंडु, किरा, पाधु
कानिका र बाधति, कोलेविरा।
शुखनी देवी
गामा केरकेवा
ग्राम प्रधान
कोलेविरा

FORM-I

The linear Projects
Government of Jharkhand
Office of the District Collector, Simdega

No. 53 1 / RU

Date: 02-09-24

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter no No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.544091 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Jharkhand Urja Sancharan Nigam, Ranchi for **Construction of 132 KV D/C Kolebira to Kamdara Sancharan Line** (Purpose for diversion of forest land) in Simdega district falls within jurisdiction of Village- Agharma in Kolebira tehsil. It is further certified that :

- (m) The completed process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **0.544091 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of record of all construction and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 24 to annexure 24.....
- (n) The diversion of forest land of facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (o) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Enc: As above

अरविन्द कुमार
Amin
RCI
Ranger Forest
Officer
C.I.
02.9.24
AC
SDO
Kolebira, Simdega
DC
2-9-24
Simdega

बनेबिरा (सिमडेगा)

ग्राम बन अधिकार समिति अग्ररमा की बैठक की कार्यवाही

17

दिनांक/.../... की पूर्वाह्न. /.../... बजे ग्राम बन अधिकार समिति अग्ररमा प्रखण्ड कोलेबिरा की बैठक ग्राम अग्ररमा में आयुक्त की गई जिसमें 132 KV D/C Kolebira- Kamdara Transmission line, M/s Jharkhand Uja Sancharan Nigam Limited के निर्माण हेतु मौजा अग्ररमा थाना न० 132 खेसरा संख्या- 2486, 2354, संरक्षित बन भूमि PF = 0.544091 (हे०) एवं JJ = 0 (हे०) बन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

1. उपस्थिति :-
2. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अग्ररमा में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी बन अधिकार की माय्यता अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है।
3. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अग्ररमा में आदिम जनजाति समुहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत बन निवासी (बन अधिकारों की माय्यता) अधिनियम 2008 की धारा 3 (1) (स) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अग्ररमा में बन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत बन निवासी बन अधिकार की माय्यता अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम की धारा -3 (2) के तहत प्रक्रिया कर ली गई है।
5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि 132 KV D/C Kolebira- Kamdara Transmission line, M/s Jharkhand Uja Sancharan Nigam Limited के निर्माण हेतु मौजा अग्ररमा थाना न० 132 खेसरा संख्या- 2486, 2354 संरक्षित बन भूमि PF = 0.544091 (हे०) एवं JJ = 0 (हे०) के बन भूमि अपयोजन में ग्राम बन अधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम बन अधिकार समिति के सदस्यों का हस्ताक्षर

जोने/मि/.../...

सचिव

बनाधिकार समिति

अग्ररमा

अध्यक्ष

बनाधिकार समिति

अग्ररमा

निवेदि केरका

आम सभा

आज दिनांक 14/05/23 ग्राम सभा में अपर समाधी के आदेश पत्रांक 5487/23 हा.व.व. के अन्तर्गत 132 के भी द्वि पथ कार्रवाई के अन्तर्गत संचरण लाइन के निर्माण हेतु बनाविकार आदिनि 2006 के तहत वन भूमि (JGA Forest) के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु बनाविकार समिति अध्यक्ष सायब, ग्रामीण एवं जंगल निरीक्षक की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुखिया ने किया उपस्थित ग्रामीण अपना-अपना हस्ताक्षर कर स्वयंसेवक प्रदान की

बनाविकार समिति अध्यक्ष

मुखिया

मुखिया हस्ताक्षर

मुखिया

मुखिया अध्यक्ष
ग्राम कोलेबिरा (सिमडेगा)

निर्माण करके

ग्रामीण हस्ताक्षर

Dawood Kerkar
Vandana Kerkar

नयनी चम केरके

TANOMAS. KANAR

जोसेफ. डेवा डेवा

मरुत डेवा डेवा

स्व स्वनिवास डेवा डेवा

विनीत डेवा डेवा

स्व मतिन डेवा डेवा

मुखिया अध्यक्ष
बनाविकार समिति
अधरमा

नमो भगवते वासुदेवाय

आज भी तुम ही मेरा कर्ण

मोह भरे हुए हैं मेरे

हृदय में तुम ही

अपना बना लो

श्री

श्री

अधिकार समिति

अधिका

रुद्राक्ष न सुखी

नमो भगवते वासुदेवाय

निगारन सुखी

आमल हंस

अनिकुल सुखी

आज भी तुम ही

मेरे

हृदय में

आमल हंस

विनिमय हो

Purush Konga

John Kong

निमित्त आरत

Karishma Topno

Yashu Singh

मेरे हृदय में

Nimesha Binda

मुखिया के अभिवादन के पश्चात आज की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सबसे पहले राजस्व कर्मचारी के द्वारा बैठक के सावधान में सभी ग्रामीण जनता को बताया गया।

भा.जा. ग्रामा.नं. २७/११/७७ पकड़ने २५५५ किरा
 भूदासमा १३२ १९५ २४४६ ०१२५२३२ ना.प्र.का.
 २३५४ ०५४१८८५९ २२

सर्व समूही से निर्णय लिया गया कि १९२ के भी.दि कोलेवीरा से कामडारा संचरण लाइन निर्माण हेतु जो भू जंगल और उसके नुकसान की क्षतिपूर्ति देय होगा ग्रामीणों के सहज समूही के साथ परस्पर को पारित किया गया जिससे ग्रामीणों को किसी प्रकार की आपा नही है, सहन्यवाह के साथ ग्राम सभा की कार्यवाही सभी सदस्य के द्वारा समाप्त की गयी।

अभि.दि. २५/०५/२०२३

सचिव

बनाधिकार समिति

अध्यक्ष

अध्यक्ष

अध्यक्ष

बनाधिकार समिति

अध्यक्ष

ग्राम पञ्चायत समिति

प्र० कोलेवीरा (हिमडिया)

आम सेवा

आज दिनांक 08/02/2023 ग्राम खरवा में अपर समाही समझौता के आदेश पत्रांक 458(11) डा/03/2023 के आलोक में ग्राम अन्तर्गत 192 के.मी. की पथ कोवेला बागडा संचरणा लाइन के निर्माण हेतु बनाविकार के अधिनियम 2006 के तहत बन भूमि (JTA Forest) के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु बनाविकार समिति अध्यक्ष, साचिव, ग्रामीण मुख्यालय जनप्रतिनिधी की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया, बैठक के अध्यक्षता मुखिया ने किया। उपस्थित ग्रामीण अपना = अपना हस्ताक्षर कर सहमती प्रदान किया।

बनाविकार समिति अध्यक्ष

मुखिया हस्ताक्षर

दयानन्द विद्यालय

मोहन शाह
विपिन शाह

रोता देवी

विमला देवी

कलमनी कुमारी

प्रतिभा देवी - वाडि सदस्य - 1

किरण देवी

चमन देवी

संज देवी

मायावती प्रधाना

अन्ता देवी

कालावती देवी

मुखिया

03/02/2023

मुखिया

मुखिया अक्षर

प्रो कोलेरिया (विमला)

197

Date :	
Page No	27

मुखिया के आग्रिवादन के पश्चात आज की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सबसे पहले राजस्व कार्यचारी के द्वारा बैठक के समावध में सभी ग्रामीण जनता को बुलाया गया।

मौला	भागल	खानाबद	एकॉर न	नरुवा	गिरु
दोरका	123	107	1054	0-321898	सख
			1273	0-170521	कै. का

सर्व सम्मती से निर्णय लिया गया कि 132 के भी. दि. कोलिविर से कामडार सचरा लाइन मिठा हेतु जो जंगल और उसके नुकसान की क्षतिपूर्ति देय होजा ग्रामीणों के सह सम्मति के साथ पुस्ताव को पारित किया जाया जिससे ग्रामीणों को किसी प्रकार की आपा नही है, सदन्यवाफ के साथ ग्राम सभा की कार्यवा. सभी अध्यक्ष के द्वारा समाप्त की गयी।

दयानिर्वाह

निर्णय
03/08/02
मुखिया

ग्राम पंचायत अध्यक्ष
प्र० कोलेविरा (सिमडेगा)

FORM-I

The linear Projects
Government of Jharkhand
Office of the District Collector, Simdega

No. 540/RW

Date: 02.09.24

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter no No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed, read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respwct of linear projects, it is certified that **0.171357 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Jharkhand Urja Sancharan Nigam, Ranchi for Construction of 132 KV D/C Kolebra to Kamdara Sancharan Line** (Purpose for diversion of forest land) in **Simdega** district falls within jurisdiction of **Village- Jurkela** in **Kolebira** tehsil. It is further certified that :

- (j) The completed process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **0.171357 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of record of all construction and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.....31..... to annexure38.....
- (k) The diversion of forest land of facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (l) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Enc: As above

अरविन्द चौधरी
Amin RCI C.I.
Ranger Forest Officer
Kolebira
कोबला अधिकारी
कोबला (सिमडेगा)
SDO
Simdega
02.9.24
AC
Simdega
DC
Simdega
2.9.24

(195)

31

ग्राम बन अधिकार समिति जुरकेला की बैठक की कार्यवाही

दिनांक14/02/2023... की पूर्वाह्न.11.12.23... बजे ग्राम बन अधिकार समिति जुरकेला प्रखण्ड कोलेबिरा की बैठक ग्राम जुरकेला में आयुक्त की गई जिसमें 132 KV D/C Kolebira- Kamdara Transmission line, M/s Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited के निर्माण हेतु मौजा जुरकेला थाना नं० 131 खेसरा संख्या- 1512, 1513, संरक्षित बन भूमि PF = 0.0 (हे०) एवं JJ = 0.171357 (हे०) बन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर बर्बा की गई।

1. उपस्थिति :-
2. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जुरकेला में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी बन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है।
3. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जुरकेला में आदिम जनजाति समुहों एवं आदिम कुचक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत बन निवासी (बन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008 की धारा 3 (1) (ग) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जुरकेला में बन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत बन निवासी बन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2008 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम की धारा -3 (2) के तहत प्रक्रिया कर ली गई है।
5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि 132 KV D/C Kolebira- Kamdara Transmission line, M/s Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited के निर्माण हेतु मौजा जुरकेला थाना नं० 131 खेसरा संख्या- 1512, 1513 संरक्षित बन भूमि PF = 0 (हे०) एवं JJ = 0.171357 (हे०) के बन भूमि अपयोजन में ग्राम बन अधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम बन अधिकार समिति.....जुरकेला के सदस्यों का हस्ताक्षर

सुशोभा देवी

उपस्थ
बन भूमि समिति
जुरकेला

सुशोभा देवी
14/02/2023

ग्राम बन अधिकार समिति
ग्र० कोलेबिरा (रिमडेगा)

V 01/06/2023

194

Date
Page No

32

ग्राम सभा

आज दिनांक 15/02/23 ग्राम जूरकला में अपर समाही के आलोक में ग्राम पत्रक 548(11) 87/03-53 के अन्तर्गत संचरण लाइन के निर्माण हेतु बनाविकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिनियम के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु बनाविकार समिति (GA FV) अध्यक्ष में बैठक का आयोजन किया गया बैठक की अध्यक्षता मुखिया ने किया । उपस्थित ग्रामीण अपना-अपना हस्ताक्षर कर सहमती प्रकिया ।

बनाविकार समिति अध्यक्ष मुखिया हस्ताक्षर

सुखदेव देव

अ.प्र.स.

प.स.स.

मुखिया
15/02/23

ग्राम पंचायत अध्यक्ष

प्र० कोलेबिरा (सिमडेगा)

पृष्ठ संख्या

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

मानद देव
सज्जन देव
का लबाय देव
अध्यापक देव
कोलेबिरा देव
मानद देव

मानद देव
अंत देव
नुवल देव
नंद देव

मुखिया देव
देव देव
बुलबुल देव

मनीष देव
कुल देव

मुखिया देव
कोलेबिरा देव

(11)

ਮੁਰਮਾ ਸੋਪੀ:-

(੩੪) ਨਮਲ ਹੋਣ

(12)

ਸਮਝਾਰਣ ਹੋਣੇ

(13)

ਸਮਝਾਰਣ ਹੋਪ

(14)

ਯੋਜਨਾਸਨ ਰਵਤਿਆ

(15)

ਸੁਮਾਨੀ ਹੋਣੇ

(16)

ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣੇ

(17)

ਫਾਲਾ ਮੀ ਹੋਣਾ

(18)

ਯੋਜਨਾਸਨ ਕੁਲ੍ਹਣ

(19)

ਸੁਮਨ ਹੋਣੇ

(20)

ਯੁਜਨ ਹੋਣੇ

(21)

ਕੇਲਾਨੀ ਹੋਣੇ

(22)

ਰਜਨੀ ਹੋਣੇ

(23)

ਰੰਗਨੀ ਹੋਣੇ

(24)

ਭਾਈ ਹੋਣੇ

(25)

ਪੁਨਮ ਹੋਣੇ

(26)

ਮੁਨੀ ਹੋਣੇ

(27)

ਯਾਨਿਤਾ ਹੋਣੇ

(28)

ਸਮੁੱਚਾ ਹੋਣੇ

(29)

ਸਿਨਕਲਾ ਹੋਣੇ

(30)

ਸੁਨਿਤ ਹੋਣੇ

(31)

ਸੁਭਾ ਹੋਣੇ

(32)

ਫਲਾ ਹੋਣੇ

(33)

ਸੇਖਰਾਨਾ ਹੋਣੇ

(34)

ਫਲਾ ਮੀ ਹੋਣੇ

(35)

ਫਲਾ ਮੀ ਹੋਣੇ

(36)

ਮੀਨੀ ਹੋਣੇ

(37)

ਸਭਮੀ ਹੋਣੇ

मुरिय्या के अभिवादन के पश्चात् आज की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, सबसे पहले राजस्व कर्मचारी द्वारा बैंक के सम्बन्ध में सभी जामिन जनग को बनाया गया ।

ਸੀਰੀਅਲ	ਮਾਤਰਾ	ਮਾਤਰਾ	ਮਾਤਰਾ	ਮਾਤਰਾ	ਮਾਤਰਾ
1	131	100	1512	0.123467	ਜੀ. ਸੀ.
2	124	124	1513	0.047890	11

सर्व समझति से निर्णय लिया गया किया 1320 ई.
काली वीर। से कामदारा संस्करण लाइन निर्माण हुल जा
अंगाल और इसके नुकसान के साथ प्रस्ताव को पारित कि
ग्रामीणों के सह सम्मति के किसी प्रकार की आपत्ति नहीं
गया जिससे सामर्थ्य को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं
रुदनन्यवाद के साथ साम सम्मति की कार्यवाही सम्म अद्य
के द्वारा सम्मति की गयी।

PP ECH₂H

112 112
56018041
14/10/2020

Abzage

~~July 12 1891 B. 1891~~

2008-09-17

ग्राम निवागत अथर्वम्
प० गोले विरा (सिमडेगा)

प० खोलेद्वारा (सिमडेगा)

FORM-I

The linear Projects
Government of Jharkhand
Office of the District Collector, Simdega

No. 58(I)/kw

Date: 2.09.24

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

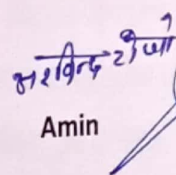
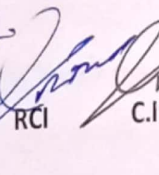
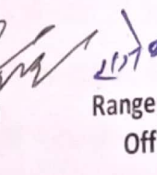
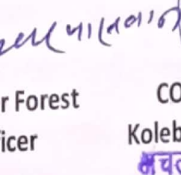
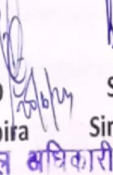
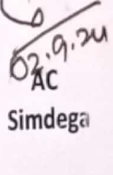
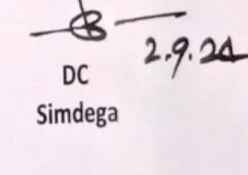
In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter no No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed, read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respwct of linear projects, it is certified that **0.286100 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Jharkhand Urja Sancharan Nigam, Ranchi for Construction of 132 KV D/C Kalebira to Kamdara Sancharan Line** (Purpose for diversion of forest land) in **Simdega** district falls within jurisdiction of **Village- Nawatoli in Kalebira** tehsil. It is further certified that :

(p) The completed process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **0.286100 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of record of all construction and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.....**39**..... to annexure**47**.....

(q) The diversion of forest land of facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(r) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Enc: As above

 Amin
 RCI
 C.I
 Ranger Forest Officer
 CO Kalebira
 SDO Simdega
 AC Simdega
 DC Simdega 2.9.24

मंचल अधिकारी
कोलेबिरा (सिमडेगा)

39

212

ग्राम वन अधिकार समिति नवाटोली की बैठक की कार्यवाही

दिनांक 12.11.2023.....की पूर्वाह्न...11:45.....बजे ग्राम वन अधिकार समिति नवाटोली प्रकाश कोलेबिरा की बैठक ग्राम नवाटोली में आयुक्त की गई जिसमें 132 KV D/C Kolebira- Kamdara Transmission line, M/s Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited के निर्माण हेतु मौजा नवाटोली धाना नं० 114 खेसरा संख्या- 586 संरक्षित वन भूमि PF = 0.0 (हे०) एवं JJ = 0.286100 (हे०) वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

1. उपस्थिति :-
2. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नवाटोली में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी वन अधिकार की माय्यता अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है।
3. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नवाटोली में आदिम जनजाति समुहों एवं आदिम कुचक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की माय्यता) अधिनियम 2008 की धारा 3 (1) (न) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नवाटोली में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकार की माय्यता अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम की धारा -3 (2) के तहत प्रक्रिया कर ली गई है।
5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि 132 KV D/C Kolebira- Kamdara Transmission line, M/s Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited के निर्माण हेतु मौजा नवाटोली धाना नं० 114 खेसरा संख्या- 586 संरक्षित वन भूमि PF = 0.0 (हे०) एवं JJ = 0.286100 के वन भूमि अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम वन अधिकार समितिके सदस्यों का हस्ताक्षर

उपस्थित

ग्राम वन अधिकार समिति

कामदी देवी

कामदी देवी

वासो देवी

कागनी देवी

दशमी देवी

फोका देवी

आनी देवी

नागा देवी

सुधनी देवी

मुष्पा देवी

सहवाइन देवी

सुधनी खडियाइन

रतनी देवी

बुधनी खडियाइन

दुलेर देवी

बुधनी देवी

निमिषा खडियाइन

गांगी देवी

सुरमनी देवी

आनी देवी

उजिमा देवी

सरवी देवी

किसा देवी

सनमन देवी

धुरनी खाडियाइन

उसाही खडियाइन

रोमल खडियाइन

मेरी खडियाइन

आनी देवी

नीमावा देवी

सीमा कुमारी

मेरी देवी

आनी देवी

मारी देवी

उमिला देवी

ਸਦਥਾਨ ਦੇਵੀ

ਮਾਮਾਵਾਨੀ ਦੇਵੀ
ਸ਼ੀਮਾ ਲੁਮਾਰੀ
ਨੇਮਰੀ ਦੇਵੀ

ਸੁਥਾਨੀ ਘਡਿਆਡੰਨ

ਲੀਡੀ ਦੇਵੀ

ਰਾਨੀ ਦੇਵੀ

ਬੁਢੀ ਘਡਿਆਡੰਨ

ਮਾਧੋਵਰੀ ਦੇਵੀ

ਫੁਲੋਰ ਦੇਵੀ

ਤੁਮਿਲਾ ਦੇਵੀ

ਬੁਢਾਨੀ ਦੇਵੀ

ਸਾਗੀ ਦੇਵੀ

ਨਿਮਲੀ ਲੁਲੂ

ਸੁਮਿਲਾ ਦੇਵੀ

ਗਾਡੀ ਦੇਵੀ

ਫੁਨਿਆ ਦੇਵੀ

ਸੁਰਮਾਨੀ ਦੇਵੀ

ਅਮਿਲਾ ਦੇਵੀ

ਅਮੋਲੀ ਦੇਵੀ

ਅਮਮੋਲ ਦੇਵੀ

ਭਾਂਜਲੀ ਦੇਵੀ

ਮੁਨਮ ਘਡਿਆਡੰਨ

ਸਾਰੀ ਦੇਵੀ

ਸਾਗਿਤੀ ਦੇਵੀ

ਭਿਰਸਾ ਦੇਵੀ

ਦੇਵਨੀ ਦੇਵੀ

ਸਾਨਮਲੀ ਦੇਵੀ

ਬੁਰਨੀ ਘਡਿਆਡੰਨ

ਅਸਾਰੀ ਘਡਿਆਡੰਨ

ਮੁਨੀ ਘਡਿਆਡੰਨ

ਰੋਮਲ ਘਡਿਆਡੰਨ

ਮੈਰੀ ਘਡਿਆਡੰਨ

ਅਮਲੀ ਦੇਵੀ

132KV D/c KOLEBIRA-KAMDARA TRANSMISSION

LINE FOREST LAND SCHEDULE

DISTRICT - SIMDEGA

SL. No	Village Name	Plot No	Khata No	PF	TJ
			Area (Hr.)	Area (Ha.)	Area (Ha.)
1	NAWA-TOLI	586	129	-	0.286100

सर्व सम्मानित से निर्णय लिया गया किया कै. श्री. डि. कौलेवीर से कामडारा संचरण लाइन निर्माण हेतु, जो अ. जंगल में और उसके नुकसान को क्षतिपूर्ति दिय होगा ग्रामीणों के सह सम्मान के साथ प्रस्ताव को पारित किया गया, जिससे ग्रामीणों को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। सद्यःपवार के साथ ग्राम सभा की कार्यवाही सभा अध्ययन के द्वारा समाप्त की गयी ।

Balbara Devi

11/11/11

श्रीम पंचायत नमो जेवना

2000

किन्तु एवम्
ग्राम प्रधान
नवाटोली